वन अधिकार कानून, 2006
वन अधिकारों को मान्यता मिलने की प्रक्रिया

हिमाचल प्रदेश सरकार

UNDP
Empowered lives.
Resilient nations.

प्रक्रिया के 9 चरण

1 ग्राम पंचायत बैठक
- पंचायत बैठक में मुहाल/तोक/हेमलेट स्तर पर ग्राम सभा का गठन
- नोटिस के माध्यम से गांव वासियों को ग्राम सभा की बैठक की सूचना

2 ग्राम सभा की पहली बैठक
- वन अधिकार समिति का गठन
- ग्राम सभा द्वारा FRC को दावे स्वीकार व तैयार करने के लिए अधिकृत करना
- दावा फार्म उपलब्ध कराने के लिए एस.डी.एल.सी से आवेदन
- व्यक्तिगत वन अधिकार दावों को आमंत्रित व स्वीकार करने की अवधि का निर्धारण

3 वन अधिकार समिति की बैठक
- सामूहिक वन अधिकार दावों को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू
- दावेदार रजिस्टर तैयार करना शुरू
- व्यक्तिगत दावेदारों को दावा फ़ार्म भरने में सहायता

4 साझी ग्राम सभाओं की वन अधिकार समिति के सदस्यों की सामूहिक बैठक
सामूहिक वन अधिकारों और उसकी चर्चा व सीमाओं पर सहमति

5 वन अधिकार समिति की अगली बैठक
- व्यक्तिगत दावेदारों के दावा-पत्र (फ़ार्म 'क') निर्धारित तिथि के अंदर प्राप्त
- दावों का संकलन और जांच पड़ताल की सूचना

6 जांच पड़ताल की कार्यवाही
- दावों के स्वरूप, विस्तार और साक्ष्यों की जांच/सत्यापन
- व्यक्तिगत दावों का मौके पर एक नज़री नक्शा

7 ग्राम सभा बैठक
- ग्राम सभा के समक्ष वन अधिकार समिति द्वारा जांच पड़ताल रिपोर्ट प्रस्तुत
- ग्राम सभा द्वारा दावों की स्वीकृति या अस्वीकृति

8 उप-मंडल स्तरीय समिति की बैठक
ग्राम सभा द्वारा सौंपे गए दावों का सत्यापन

9 ज़िला स्तरीय समिति की बैठक
दावों का निपटारा व दस्तावेजीकरण

प्रक्रिया के बारे में ध्यान में रखने वाली बातें

- प्रक्रिया के ये 9 चरण हिमाचल के संदर्भ में वन अधिकार कानून के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये बनाये गए हैं।
- व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों के आवेदन के लिए 3 प्रकार के दावा **फ़ार्म–'क', 'ख'** और **'ग'** भरे जायेंगे।
- प्रक्रिया के हर चरण में कार्यवाही को कानून के अंतर्गत मुहाल/गाँव स्तर पर बनी ग्राम सभा के प्रस्ताव रजिस्टर में लिखित रूप में अंकित किया जाएगा।
- पूरी प्रक्रिया में कानून के अंतर्गत मुहाल/गाँव स्तर पर बनी वन अधिकार समिति ग्राम सभा की सहायता करेगी।
- दावों के मान्यता की प्रक्रिया में ज़िला स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम और बाध्य होगा।
- ग्राम सभा/उप-मंडल स्तरीय समिति/ज़िला स्तरीय समिति द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय से असंतुष्टि हो तो लिखित रूप में आपत्ति दर्ज कर अपील करने के प्रावधान कानून में मौजूद हैं।

वन अधिकार कानून के तहत मिलने वाले मान्यता पत्र (टाइटल) के बारे में ज़रूरी बातें :

- ये पत्र दावेदार को वन भूमि पर उपयोग का कानूनी अधिकार देता है
- अधिकार पत्र एक हस्ताक्षरित दस्तावेज है
- पति-पत्नी दोनों के नाम पर पंजीकृत होगा
- राजस्व व वन विभाग के दस्तावेजों में दर्ज होगा
- प्राप्त वन अधिकार पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में जाएंगे
- प्राप्त वन अधिकार किसी को बेचे या हस्तांतरित नहीं किये जा सकते

कानून के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप ज़िम्मेदार विभागों और अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित प्रशिक्षण पुस्तिका देख सकते हैं।